

में नहीं आ रहा है। इस रास्ते को बीच में
शिफ्ट किया जा सकता है जिसमें ग्रामी व
अग्रामी लवणों कायदा मिलें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपरोक्त
राजस्व रेकार्ड, तहसीलदार द्वारा की गई
रिपोर्ट एवं वजुलाय उलयपत्र द्वारा की गई बहस
पर अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से
पाया गया कि मोर्के पर उचित उस्ता को
272/1, 272/2 व 273 खसते से गुजता है
कदानी रास्ता नहीं है तथा लघुतम भी नहीं
है जबकि ख.नं. 279 की दक्षिणी सीमा से
ख.नं. 234/1 की उत्तरी सीमा तक ख.नं. 274
की पश्चिमी सीमा से सरकार रास्ता ख.नं. 273/1352
राजस्व रेकार्ड में कटा हुआ है इससे आगे
का ग्रामी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम
व ललतम है। अतः ख.नं. 279 की दक्षिणी
सीमा से ख.नं. 234/1 की उत्तरी सीमा तक ख.
नं. 274 की पश्चिमी सीमा से सरकार राजस्व
रेकार्ड में दर्ज रास्ता ख.नं. 273/1352 के आगे
का रास्ता ख.नं. 273, 272/2, 234/1 तन ग्राफ
लाखनी में से होकर लाखनी से धीरजपुर जाने
वाले सड़क तक गौ.मु. सिवायचक (सर्वजनिक)
रास्ता दर्ज करने का आदेश उदान किया जाता
है। तहसीलदार वजुला, अतानुसार रास्ते में अर्ध
मूफि का वर्तमान प्रि.स.सी. इ. की दोगुनी पट्टी
से अंकलत का अंकलित राशी राजकोष में



24

26

01



ने जो बीच में
दिसमें जारी व
।

पत्रावली पर उपलब्ध
द्वारा की गई
द्वारा की गई कहस
के अवलोकन से
उचित उस्ता जो
ले गुजरा है
लघुतम भी नहीं
दक्षिणी सीमा से
सीमा तक ख.नं. 274
र रास्ता ख.नं. 273/
1352
आ है इससे आगे
गया रास्ता लघुतम
नं. 279 की दक्षिणी
उत्तरी सीमा तक ख.
ले सटाकर राजस्व
नं. 273/1352 के आगे
272/2, 234, तन ग्राफ
वनी से घीरपुर जाने
सिवाय-चक (सर्वजनिक)
देश उदान किया जाता
तानुसार रास्ते फेंटे आदि
A - A गोपनीय

उस्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल इतामद
हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश
जाती है। पत्रावली फेलत शुमार होकर नम्बर
में कम हो तथा बाद तकमील दाखिल
दस्ता हो। निर्णय खले न्यायालय में
पुनर्था गया

01/07/19



उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)